कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

[illegible]

पत्रांक / 2133 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 20/10/ 2022

सेवा में,

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त
हल्द्वानी।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.3380 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण(online no.FP/UK/road/29571/2017)

संदर्भ– आपका पत्रांक–530 / 12–1 दिनांक–01.10.2022

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गयी सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:–

क्र0सं0	शर्त	
1	बिन्दु संख्या–01 के संदर्भ में राज्य सराकार द्वारा यह आश्वस्त कराया गया है कि यथानुसार प्रस्तावित डी0पी0आर0 में Strutures and Budgetary provision कर लिया जायेगा किन्तु राज्य सरकार द्वारा बिन्दु संख्या 01 के संदर्भ में सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।	प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक–2373 / दिनांक–14.09.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि हल्दानी बाईपास में हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के संरेखण तीनपानी बाईपास पेट्रोल पम्प के बगल से होते हुए एवं आबादी एवं वन क्षेत्र की सीमा पर वन विभाग की पूर्व निर्मित मार्ग पर नियोजित किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग गौला नदी के समान्तर नियोजित है प्रस्तावित मोटर मार्ग से गौला नदी का तट अलग–अलग स्थानों पर न्यूनतम 392 मी0 है तथा अधिकतम 1497 मी0, औसतन 755 मी0 पर है अतः गौला नदी से मोटर मार्ग के अपरदन / कटाव / अपक्षरण की कोई संभावना नहीं है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण में वर्तमान में कोई भी चिरस्थायी नाला या जल प्रवाह नहीं है। भूगर्भवेत्ता की आख्या में भी अपरदन नियंत्रण हेतु कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं। मार्ग समरेखण में पड़ने वाले कॉजवे का निर्माण व निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय किये जाने होगें, जिसका प्राविधान आगणन में किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के बायीं ओर वन्य जीवों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिये वन विभाग द्वारा 70 से 80 लम्बाई में खाई खोदी गयी है तथा अधिकांश स्थानों पर सोलर फेन्स भी लगाये गये है। वर्तमान में आगणन गठन की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें खाई की तरफ मोटर मार्ग के अपरदन / कटाव / अपक्षरण से बचाव हेतु आगणन में निम्न मद प्रस्तावित है। प्रति संलग्न है:– 1. 50 मीटर पत्थर की 1.50 मीटर ऊँची दीवार प्रत्येक कि0मी0 में। 2. पुराने सूखे जल मार्गो की स्थान पर एहतियान अप–स्ट्रीम व डाउन–स्ट्रीम में वायर कैट का कार्य प्रस्तावित है साथ ही भूगर्भवत्ता की रॉय के अनुसार मार्ग समरेखण में पड़ने वाले कॉजवे का निर्माण व निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय प्रस्तावित है। 3. अवशेष स्थानों में वन्य जीवों के प्रवेश को रोकने के लिये 3 मीटर छोड़ी खाई के कटाव से बचाव हेतु दीवार का निर्माण भी प्रस्तावित है।

संलग्नः–उक्त की मूल प्रति पूर्व में प्रेषित की गयी है। छायाप्रति पुनः प्रेषित ।

भवदीय

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

O/C

पत्रांक 2133 /12–1 दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।